BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

जीएसटी सुधार 2025: आम आदमी के लिए राहत, व्यवसायों के लिए बढ़ावा

सभी के लिए राहत, सरलीकरण और विकास

04 सितम्बर, 2025

मुख्य विशेषताएं

- जीएसटी को दो-स्लैब संरचना में सरलीकृत किया गया (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत)
- जीएसटी सुधारों ने **घरेलू आवश्यक वस्तुओं** (साबुन, टूथपेस्ट, भारतीय ब्रेड) पर करों को घटाकर **5 प्रतिशत या शून्य** कर दिया जिससे वहनीयता को बढ़ावा मिला
- जीवन रक्षक दवाओं, औषधियों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य या 5 प्रतिशत की गई जिससे स्वास्थ्य सेवा सस्ती हुई
- दोपहिया वाहन, छोटी कारें, टीवी, एसी, सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गई, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिली
- कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, जिससे खेती की लागत में कमी आई
- तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स और लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाया गया।

प्रस्तावना

1 जुलाई 2017 को लागू किया गया **वस्तु और सेवा कर (जीएसटी),** स्वतंत्रता के बाद से भारत का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है। कई केंद्रीय और राज्य करों को एक एकल, एकीकृत प्रणाली में एक साथ लाकर, जीएसटी ने एक **सामान्य राष्ट्रीय बाजार** का निर्माण किया, करों की आवर्ती को कम किया, सरलीकृत अनुपालन और पारदर्शिता में सुधार किया। आठ वर्षों में, जीएसटी दर युक्तिकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से तेजी से विकसित हुआ है, **जो भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे की रीढ़ बन गया है**।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में **जीएसटी परिषद की 56 वीं बैठक** ने अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी दे दी है, जिसमें आम आदमी के जीवन में सुधार लाने और छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री **नरेन्द्र मोदी** ने घोषणा की थी- "*सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा*। उन्होंने कहा कि सुधारों से **आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों** को प्रत्यक्ष लाभ होगा, जबकि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को सुदृढ़ किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जीएसटी परिषद ने एक व्यापक सुधार पैकेज की अनुशंसा की है जिसमें **सरलीकृत दो-स्लैब संरचना (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत)** के साथ **दर युक्तिकरण**, आम आदमी, श्रम-केंद्रित उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सेक्टरों में दरों में कटौती शामिल है। ये अनुशंसाएं **जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों के बीच जीएसटी को** सरल, निष्पक्ष और अधिक विकास-उन्मुख बनाने के लिए आम सहमति पर आधारित हैं। संशोधित दरें और छूट **22 सितंबर 2025** से लागू होंगी, जिससे आम आदमी, परिवारों, किसानों और व्यवसायों के लिए समय पर राहत सुनिश्चित होगी। केवल निर्दिष्ट सामान जैसे सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद जैसे जर्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी अपवाद होंगे, जिनके लिए जीएसटी और मुआवजा उपकर की विद्यमान दरें लागू रहेंगी और नई दरें बाद की तिथि में लागू की जाएंगी, जो मुआवजा उपकर के कारण पूरे ऋण और ब्याज देनदारियों के निर्वहन पर आधारित होंगी।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के 7 स्तंभ

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक सरलीकृत 2-स्तरीय संरचना, उचित कराधान और सुगमता से तथा त्वरित रिफंड के लिए डिजिटल फाइलिंग पर आधारित हैं। वे आवश्यक और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं पर दरों को कम करके उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हैं, एमएसएमई और विनिर्माताओं को सुगम

नकदी प्रवाह के साथ सशक्त बनाते हैं, राज्य के राजस्व को सुदृढ़ करते हैं और पूरे भारत में उपभोग और विनिर्माण विकास को बढ़ावा देते हैं।

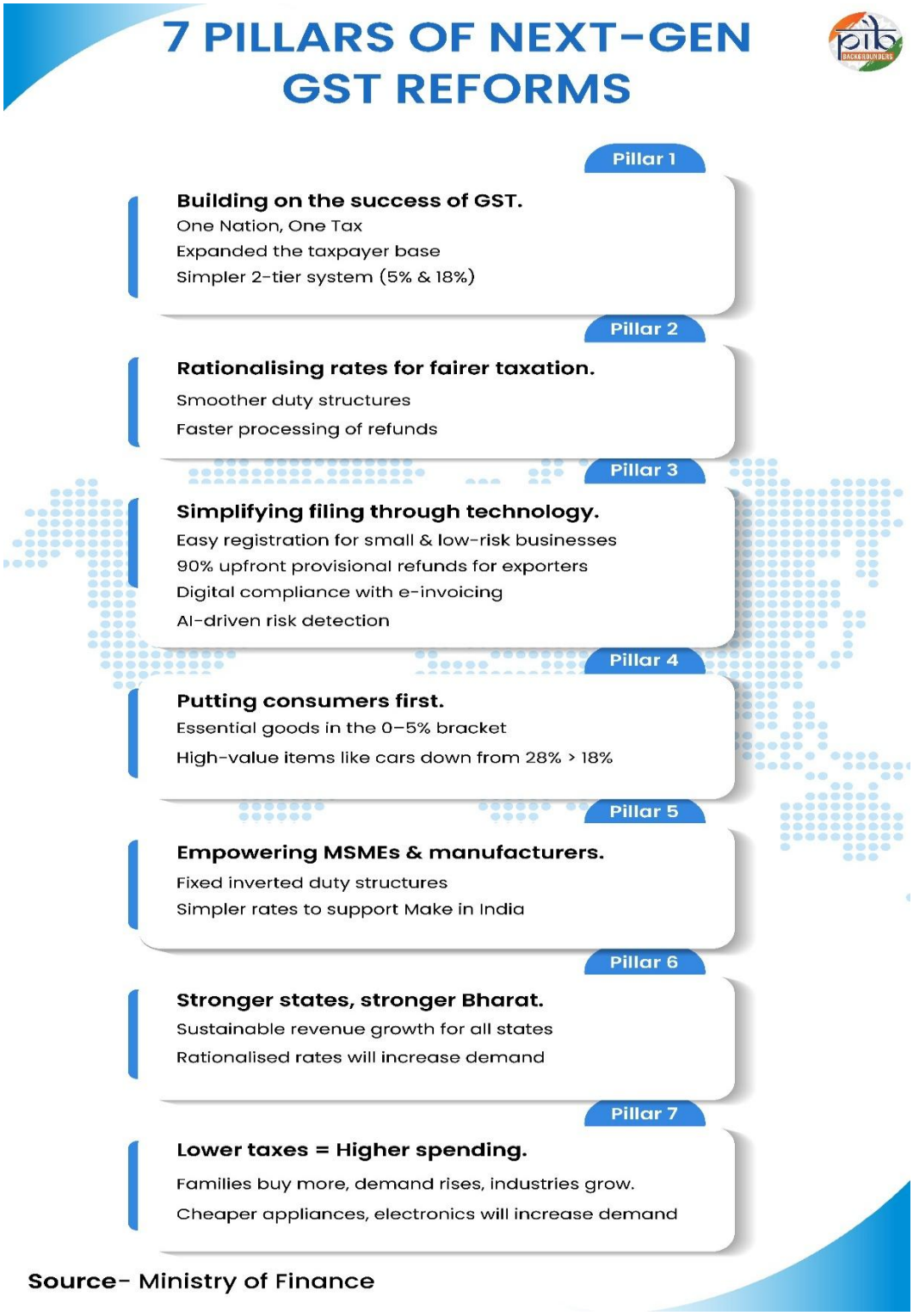

सरलीकृत संरचना, अलग-अलग सेक्टरों को राहत

नवीनतम सुधार जीएसटी संरचना का एक बड़ा सरलीकरण है। पहले की 12 प्रतिशत **और 28 प्रतिशत दरों को हटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत** की **दो-स्लैब प्रणाली** में बदलाव से कराधान अधिक पारदर्शी और पालन में सुगम हो जाएगा। इसके साथ-साथ **पान मसाला, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों और एरेटेड ड्रिंक्स, महंगी कारों, नौकाओं और निजी विमानों जैसे लक्जरी उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर** निष्पक्षता और राजस्व संतुलन सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही, पंजीकरण और **रिटर्न फाइलिंग** को सरल **बनाया गया है**, रिफंड में तेजी लाई गई है और अनुपालन लागत कम की गई है, जिससे व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप पर बोझ कम हो गया है।

यहां सुधारों और उनके अपेक्षित प्रभाव का क्षेत्र-वार अनुवर्ती विवरण दिया गया है।

खाद्य और घरेलू सेक्टर

इन सुधारों से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर करों को कम किया गया है जिससे परिवारों में प्रत्यक्ष बचत होगी। एसी, डिशवॉशर और टीवी (एलसीडी, एलईडी) पर जीएसटी दर में कटौती दोहरी जीत है। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको-सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए उपभोक्ताओं के लिए वहनीयता बढ़ाता है।

- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) **दूध**, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले छेना या पनीर **जैसे उत्पादों पर दरें** शून्य होंगी
- साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, साइकिल जैसे घरेलू सामान पर जीएसटी दर अब 5 प्रतिशत कर दी गई **है**।
- खाद्य पदार्थ जैसे पैकबंद नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस आदि **को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया**
- **कन्ज्यूमर ड्यूरेबल:** टीवी (एलसीडी/एलईडी) (> 32'), एसी, डिशवॉशर पर जीएसटी दर **28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।**

गृह निर्माण एवं सामग्री

सीमेंट और निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कटौती से हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत कम होगी, जिससे घर खरीदना अधिक किफायती हो जाएगा। इस कदम से रियल एस्टेट में मांग बढ़ने और निर्माण में नए रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।

1. सीमेंट पर जीएसटी दर **28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई**।

2. संगमरमर/ट्रैवर्टीनब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूना ईंटें पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**
3. बांस फर्श / जॉइनरी, पैकिंग मामलों और पैलेट (लकड़ी) पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**

ऑटोमोबाइल सेक्टर

वाहनों और ऑटो पार्ट्स का स्पष्ट वर्गीकरण विवादों को कम करेगा, अनुपालन में सुधार करेगा और भारत के **ऑटोमोटिव विनिर्माण** और निर्यात **वृद्धि में सहायता** करेगा।

1. छोटी कार, दोपहिया ≤350सीसी पर जीएसटी दर **28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई**।
2. बसें, ट्रक, तिपहिया, सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दर **28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई**।

कृषि सेक्टर

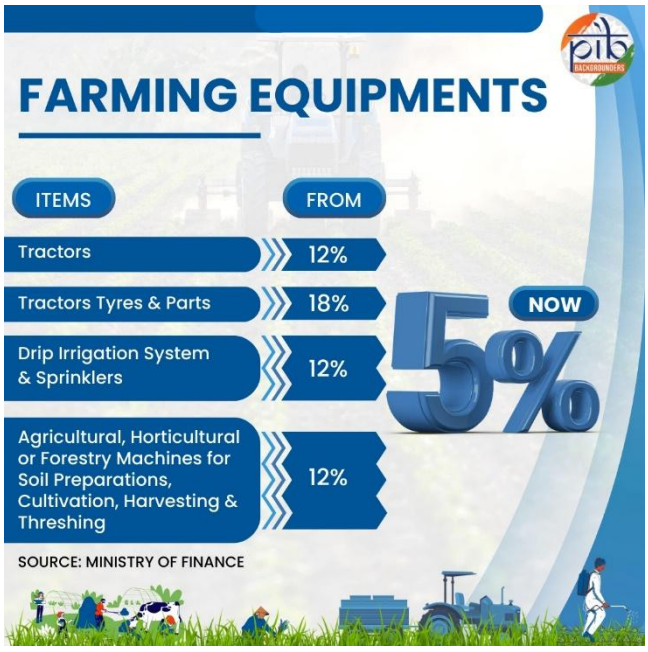

सस्ती मशीनरी और जैव-कीटनाशकों पर निम्न दरों से छोटे किसानों को **लागत कम करने** और टिकाऊ कृषि कार्य प्रणालियों **को प्रोत्साहित करने** में मदद मिलेगी। उर्वरक इनपुट पर इन्वर्टेड शुल्क संरचना में सुधार करने से घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात **पर** निर्भरता कम **होगी**, जिससे कृषि में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।

- ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई;

- टायर और पुर्जे: पर जीएसटी दर **18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।
- हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन मशीन पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।
- जैव-कीटनाशक और प्राकृतिक मेन्थॉल पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।

सेवा क्षेत्र

होटल में ठहरने, जिम, सैलून और योग सेवाओं पर कम जीएसटी से नागरिकों के लिए लागत कम होगी, कल्याण तक पहुंच में सुधार होगा और आतिथ्य तथा सेवा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

- होटल 7,500 रुपये प्रति दिन तक ठहराव पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।**
- जिम, सैलून, नाई, योग जीएसटी पर जीएसटी दर **18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।**

खिलौने, खेल और हस्तशिल्प

मानव निर्मित फाइबर के लिए शुल्क ढांचा तय करने **से** वस्त्र उद्योग **की प्रतिस्पर्धात्मकता**, विशेषकर निर्यात में, में सुधार होगा। इस क्षेत्र में इन्वर्टेड शुल्क संरचना को मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित यार्न पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के साथ ठीक किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हस्तशिल्प पर निम्न जीएसटी दर कारीगरों की आजीविका में सहायता करेगी, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी और **ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा** देगी।

1. हस्तशिल्प की मूर्तियों और प्रतिमाओं पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।
2. पेंटिंग, मूर्तियों पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।
3. लकड़ी/धातु/कपड़ा गुड़िया और खिलौने : **12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत**।

***व्यापार विशेषज्ञ दिलीप बैद**, ने कहा, "मेरे सेक्टर , हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, यह एक जीवन रेखा बन सकता है क्योंकि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टैरिफ ने पूरे हस्तशिल्प सेक्टर को बाधित कर दिया है और इस सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। जैसा कि हम वैकल्पिक बाजारों की खोज करने के बारे में सोच रहे थे, भारत इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है और अब हस्तशिल्प पर इन कम जीएसटी दरों के साथ, हम अपने भारतीय बाजार को बढ़ाएंगे। बदले में, यह कारीगरों और शिल्पकारों के रोजगार को बचाएगा।*

शिक्षा क्षेत्र

अभ्यास पुस्तिकाओं, इरेज़र, पेंसिल, क्रेयॉन और शार्पनर के साथ शिक्षा अधिक सस्ती **हो गई है**, जो 0 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इससे सीधे परिवारों और छात्रों को सहायता प्राप्त होगी, जिससे सीखने की सामग्री की कम लागत सुनिश्चित होगी।

ज्यामिति बक्से, स्कूल डिब्बों, ट्रे पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।

चिकित्सा क्षेत्र

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर कम दरों से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार होगा और फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को सहायता प्राप्त होगी।

- 33 जीवन रक्षक दवाएं, डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत की गई**।
- आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सहित अन्य दवाएं पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।
- चश्मा और सुधारात्मक चश्मे पर जीएसटी दर **28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**।
- चिकित्सा ऑक्सीजन, थर्मामीटर, सर्जिकल उपकरण: पर जीएसटी दर **12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।**
- चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर **18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।**

स्वास्थ्य और जीवन बीमा

जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करेगी और 2047 तक सभी के लिए मिशन बीमा के विजन का समर्थन करेगी।

- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फ्लोटर प्लान और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी छूट।

पॉली मेडिक्योर के एमडी और ईपीसीएमडी के सीओए सदस्य श्री हिमांशु बैद ने कहा "सभी स्वास्थ्य बीमा के साथ जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। उपभोक्ता को बड़ा लाभ होने वाला है... थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे आवश्यक चिकित्सा उत्पादों के लिए, जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा सुधार है, जो स्थानीय उपभोग को बढ़ावा देगा और कई उत्पादों के लिए वहनीयता और पहुंच में सुधार करेगा जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थे...

उपरोक्त प्रमुख सुधारों के अतिरिक्त, कई अन्य मदों में भी जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाया गया है। इनमें घरेलू उपयोगिताओं, छोटे उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक इनपुट शामिल हैं। एक पूर्ण मद-वार सूची यहां प्रदान की गई है।

अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी: सभी के लिए लाभ

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार न केवल कर दरों को कम करने के लिए, बल्कि विकास का एक अच्छा चक्र बनाने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं।

- **कम कीमतें, उच्च मांग:** सस्ती वस्तुएं और सेवाएं घरेलू बचत को बढ़ाती हैं और उपभोग को प्रोत्साहित करती हैं।
- **एमएसएमई के लिये सहायता:** सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और हस्तशिल्प जैसे इनपुट पर कम दरें लागत कम करती हैं और छोटे व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती हैं।
- **जीवन की सुगमता:** दो दरों की संरचना का अर्थ है कम विवाद, त्वरित निर्णय और सरल अनुपालन।
- **व्यापक कर नेट:** सरल दरें अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं, कर आधार का विस्तार करती हैं और राजस्व में सुधार करती हैं।
- **विनिर्माण के लिये सहायता:** इन्वर्टेड शुल्क संरचनाओं को ठीक करने से घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- **राजस्व वृद्धि:** जैसा कि पिछले सुधारों में देखा गया है, बेहतर अनुपालन के साथ कम दरें संग्रह में वृद्धि करती हैं।
- **आर्थिक गति:** कम लागत → उच्च मांग → बड़ा कर आधार → मजबूत राजस्व → सतत विकास ।
- **सामाजिक सुरक्षा:** बीमा और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी की छूट घरेलू सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सुदृढ़ करती है।

साथ में, ये सुधार सुनिश्चित करते हैं कि जीएसटी **नागरिक-केंद्रित**, **व्यापार-अनुकूल** और भारत की वैश्विक विकास महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो।

जीएसटी प्रक्रियाओं और सामान्य प्रश्नों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **जीएसटी एफएक्यू** (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) देखें।

जीएसटी का रास्ता: चुनौतियां और उपलब्धियां

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लॉन्च से पहले, भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यधिक खंडित थी। प्रत्येक राज्य ने अपनी कर दरों, शुल्कों और प्रक्रियाओं का पालन किया, जिससे पूरे भारत में व्यापार जटिल और अनुपालन बोझिल हो गया। व्यवसायों को अक्सर दोहराव वाले करों, असंगत नियमों और इनपुट के लिए सीमित ऋण प्राप्ति का सामना करना पड़ता था।

पूर्व-जीएसटी युग (वैट प्रणाली) के साथ समस्याएं:

- राज्यों में एक समान कर दरें नहीं; प्रवेश कर जैसे अतिरिक्त शुल्क से लागत बढ़ी।
- रिटर्न, ऑडिट और पेनाल्टी के अलग-अलग नियमों ने भ्रम पैदा किया।
- कमजोर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रावधानों से दुरुपयोग और कर चोरी के मामले बढ़े।
- दोहरे कराधान (वैट प्लस सेवा कर) ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर बोझ बढ़ा दिया।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए जीएसटी की कल्पना एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली के रूप में की गई थी।

जीएसटी का विचार पहली बार **2000 में प्रस्तावित किया गया था,** जिसमें बिक्री कर सुधारों का अध्ययन करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए और राज्यों के बीच व्यापक सहमति के साथ, **101वां संविधान संशोधन अधिनियम** पारित किया गया और 2016 में इसकी पुष्टि की गई, जिससे जीएसटी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जीएसटी को औपचारिक रूप से **1 जुलाई 2017 की आधी रात को लागू किया गया था, जिसकी** "*नए भारत के लिए पथ-प्रदर्शक कानून*" ***के रूप में सराहना की गई थी।***"

जीएसटी एक बड़ी उपलब्धि क्यों है:

- 17 अलग-अलग करों और 13 उपकरों **को एक समेकित कर में** समाहित कर दिया।
- करों (कर पर कर) के कैस्केडिंग (आवर्ती) प्रभाव को समाप्त कर दिया।
- सामान्य दरों और प्रक्रियाओं के साथ **एकल राष्ट्रीय बाजार** बनाया।
- सरलीकृत अनुपालन और बेहतर पारदर्शिता।
- देश के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष हेमंत जैन कहते हैं, *"... यह आम आदमी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। कारोबार सुगमता के लिए यह एक बड़ा कदम है... आम आदमी की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। इससे अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलेगा..."*

अब तक निष्पादन

- **कर आधार का विस्तार**: जीएसटी करदाता आधार **वर्ष 2017 में 66.5 लाख** से बढ़कर **वर्ष 2025 में 1.51 करोड़** हो गया है, जो अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिकरण को दर्शाता है।
- **रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि**: वित्त वर्ष 2024-25 **में 22.08 लाख करोड़ रुपए का सकल** जीएसटी **संग्रह दर्ज किया गया**, जो 18 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ केवल चार वर्षों में दोगुना हो गया।
- **आर्थिक विश्वास**: बढ़ते संग्रह और सक्रिय करदाता मज़बूत अनुपालन, बेहतर प्रणाली और सुदृढ़ आर्थिक बुनियादी कारकों को दर्शाते हैं। औसत मासिक संग्रह **2017-18 के 82,000 करोड़ रुपये** से बढ़कर **2.04 लाख करोड़ रुपये सालाना हो गया**।

निष्कर्ष

सरलीकृत जीएसटी संरचना को अपनाना और दरों में व्यापक कटौती भारत की कर यात्रा में एक नया अध्याय है। नागरिकों के लिए वहनीयता, व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा और अनुपालन में पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करके, ये सुधार जीएसटी को न केवल एक कर प्रणाली, बल्कि **समावेशी समृद्धि और आर्थिक रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक भी बनाते हैं**।

22 सितंबर 2025 **से प्रभावी, ये सुधार एक** सरल, निष्पक्ष और विकास-उन्मुख जीएसटी संरचना **के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं**, जिससे लोगों के लिए जीवन में सुगमता और उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी दोनों सुनिश्चित होते हैं।

संदर्भ

वित्त मंत्रालय

- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2163555
- https://x.com/mygovindia/status/1963290806770450904?s=46

पीके/केसी/एसकेजे/केके